बैंकिंग पुनर्जागरण : समावेशन, नवोन्मेष और कार्यान्वयन*

एस.एस.मूंदड़ा

श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डॉ. राजन सक्सेना, उप कुलपति, नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), डॉ. शमसुद्दीन अहमद, डीन, डॉ. वृन्दा कामत, प्रोफेसर और कार्यक्रम अध्यक्ष (एमबीए बैंकिंग), श्री सी.बी.राममूर्ति, संकाय-सदस्य और स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एनएमआईएमएस विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, आमंत्रित विख्यात महानुभाव, समचारपत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, देवियो और सज्जनो ! सर्वप्रथम, मैं एनएमआईएमएस की सराहना करना चाहता हूँ कि वे अपने विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा और व्यावहारिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं और उन्हें इस योग्य बना रहे हैं कि वे विभिन्न संगठनों में नेतृत्व की भूमिका को स्वीकार कर सकें । एनएमआईएमएस जैसी संस्थाएं कुशल एवं सुयोग्य श्रमशक्ति विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं और इस प्रकार से वे राष्ट्र की सेवा कर रही हैं ।

2. मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आज की सुबह मैं उदीयमान प्रबंधन पेशेवरों के बीच एनएमआईएमएस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित "बैंक पर भरोसा, 2014" पर आयोजित सातवें वार्षिक सम्मेलन में प्रारंभिक वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हूँ । मैंने पाया है कि पिछले समय में सम्मेलन में कई सुविख्यात वक्ताओं को बुलाया गया है जिन्होंने ऐसे अनेक प्रमुख विषयों पर वक्तव्य दिया है जो बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाले थे ।

3. इससे पहले कि मैं सम्मेलन की थीम पर बात करूं मै दो प्रसिद्ध अमरीकी विद्वानों के कथन प्रस्तुत करना चाहूंगा :

"यह अच्छी बात है कि एक राष्ट्र के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को नहीं समझते हैं, यदि समझते तो मेरा विश्वास है कि कल की सुबह होने से पहले एक क्रांति पैदा कर देते ।"

हेनरी फोर्ड, फौर्ड मोटर कंपनी के जनक

"मेरा यह विश्वास है कि बैंकिंग व्यवस्था किसी मोर्चे की सेवा से भी ज्यादा खतरनाक है और निधीयन के नाम पर पैसा खर्च करना जिसका भुगतान आने वाली पीढ़ी को करना है, महज भविष्य का बहुत बड़ा झांसा है ।" *थामस जेफरसन, स्वतंत्रता की घोषणा के मूल लेखक और अमरीका के तीसरे राष्ट्रपति*

अब आप समझ गए होंगे कि विश्व के अग्रणी व्यक्तियों ने बैंकों और बैंकिंग प्रणाली के बारे में क्या कहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में बैंकिंग की जागरूकता बहुत अधिक फैलाने और फिर एक क्रांति का जोखिम उठाने की ज़रूरत है । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार की टिप्पणियां उस समय में की गई हैं जब क्रेडिट कार्ड, मार्गेज ऋण और अन्य वैयक्तिक ऋणों का अता-पता नहीं था । लेकिन, बैंकिंग क्षेत्र में बैंकर के रूप में पैंतीस वर्ष से अधिक के कैरियर का मेरा अनुभव यह रहा है कि बैंकिंग का पेशा इतना अन्यायपूर्ण नहीं है जितना कि ये दोनों महानुभाव दुनिया को बताना चाहते हैं ।

इसे बैंकिंग का पुनर्जागरण क्यों कहा जाए

4. इस विषय को और भी गंभीरता से लेते हुए अब मैं सम्मेलन की थीम पर बात करूंगा जो 'बैंकिंग पुनर्जागरण : समावेशन, नवोन्मेष और कार्यान्वयन' विषय पर है । आप जानते ही हैं कि Renaissance शब्द मूलतः फ्रेंच का शब्द है जिसमें Re का अर्थ है वापस, पुनः+ naissance का अर्थ है "जन्म", "जागरण" (यह लैटिन के nascentia से बना है जिसमें nasci का अर्थ होता है जन्मा हुआ । पुनर्जागरण से आशय उस अवधि से है जिसके दौरान यूरोपियन कला और साहित्य का पुनरुत्थान हुआ था और जो 14-15 वीं शताब्दी के प्राचीन मॉडलों से प्रभावित था । पुनर्जागरण का शब्दकोश में एक अन्य अर्थ है - 'किसी चीज का पुनरुत्थान अथवा उसमें अभिरुचि का नवीकरण ।

5. मुझे नहीं मालूम कि इस सम्मेलन की थीम में 'पुनर्जागरण' शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है । निश्चित ही आप पुराने ढर्रे की बैंकिंग के पुरुत्थान या प्रकार के नवोन्मेष के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। इसी तरह, मैं भी बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि इसका सरोकार बैंकिंग के पुनरुत्थान या बैंकिंग में नवीकृत अभिरुचि

* मुख्य अतिथि श्री एस.एस.मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा 11 अक्तूबर 2014 को मुंबई में आयोजित 'बैंक पर भरोसा, 2014' थीम पर आयोजित सातवें वार्षिक "बैंकिंग सम्मेलन में : बैंकिंग पुनर्जागरण : समावेशन, नवोन्मेष और कार्यान्वयन विषय पर दिया गया संबोधन ।

से है, मैं नहीं समझता कि हमारे जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में समाज की रुचि बैंकिंग में कभी कम नहीं हुई है । सम्मेलन की थीम के बारे में मैं जो समझ पाया हूँ वह संभवतः यह है कि हमारे बैंकिंग क्षेत्र में नवोन्मेष उपायों के बारे में चर्चा करना जो उसे और अधिक समावेशी, गतिमान, उत्पादक, कुशल और सबसे ज्यादा ग्राहक-उन्मुख बनाएंगे । इसलिए आज मैं इसी बुनियादी मान्यता को ध्यान में रखकर आपको संबोधित करूंगा और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि सम्मेलन की थीम से नहीं भटकूंगा ।

बैंकिंग का उद्भव

6. इससे पहले कि मैं विषय पर बात करूं, इस संदर्भ के हवाले से मैं संक्षेप में इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि आज की बैंकिंग का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ । आज जो बैंकिंग है, हो सकता है कि इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई हो । लेकिन, प्राचीन समय में मेसोपोटैमिया में आज की समस्त आधुनिक बैंकिंग प्रथाएं जैसे - जमा, ब्याज, ऋण और साखपत्र मौजूद थीं । ईसा पूर्व 2000 में बेबिलोन के मंदिरों में तिजोरी रखने और बचत करने की प्रथाएं विद्यमान थीं । अपने देश में देखें, तो कौटिल्य ने 300 ईसा पूर्व उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मर्चेंट बैंकरों की सशक्त प्रतिभूतियों के बारे में लिखा है, वे जमाराशियां स्वीकार करते थे और ऋण देते थे तथा हुंडियां (अंतरण-पत्र) जारी किया करते थे । आज के आधुनिक समय में, एक अनुभवी स्काटिश स्वर्णकार विलियम पैटरसन को ब्रिटेन में 1988 में नेशनल बैंक की स्थापना की तरकीब सूझी, जिससे बैंक ऑफ इंग्लैंड का जन्म हुआ । सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक बैंकिंग का आशय है कि बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच वित्तीय मध्यस्थता को सहज बनाना । बैंक एक ऐसा स्थान है जहां धन सुरक्षित रखा जाता है और इस प्रक्रिया में उस धन पर कुछ प्रतिफल भी मिलता है तथा बैंक में कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय समस्याओं का साधारण समाधान भी प्राप्त कर सकता है । आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी के आगमन ने बैंकिंग को तीन भागों में विभाजित कर दिया है : ए) 1980 के दशक के दौरान पश्च कार्यालय की प्रक्रियाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाना, बी) 1990 के दशक के दौरान बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध कराना, सी) 2000 के दशक में बैंकिंग को एक नई जीवनशैली/जीवन मंच प्रदान करना । इस प्रकार से, समय बीतने के साथ-साथ बैंकों ने अपने दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन कर लिए और एक वित्तीय सुपर-बाजार के रूप में उभरे तथा कई प्रकार के जटिल वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की पेशकश चौबीस घंटे कर रहे हैं, ये सेवाएं ग्राहकों की ज़रूरतों के मुताबिक हैं जो विभिन्न डिलीवरी चैनलों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं ।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकों के रेगुलेटर की हैसियत से इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा अविनियमित किया है और बाज़ार के खिलाड़ियों को ग्राहकों के लिए उपयुक्त उत्पादों एवं सेवाओं को विकसित करने की अनुमति प्रदान की है । फलस्वरूप, उत्पादों, सेवाओं और डिलीवरी चैनलों को लेकर नवोन्मेष में कोई कमी नहीं रही है । उत्पाद को लेकर जो नवीनता लाई गई है वह है जटिल प्रकार के उत्पादों को भी लाना जैसे - स्वैप, डेरिवेटिव और प्रतिभूतिकरण, वहीं पर डिलीवरी चैनल भी अब पक्के मकानों तक सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि ये चैनल व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल (बीसी) के अतिरिक्त आधुनिक प्रौद्योगिकीजन्य चैनल जैसे - एटीएम, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम तक फैल गए हैं । अतः इस प्रकार से इस क्षेत्र में पिछले वर्षों में अत्यधिक प्रगति हुई है और नवोन्मेष हुआ है । लेकिन, इस प्रगति ने साथ ही अनेक सवाल भी खड़े किए हैं:

- इस नवोन्मेष से किन लोगों को फायदा पहुंचा है ?
- ये जो उत्पाद पेश किए जा रहे हैं, क्या उनकी मांग है ?
- क्या बैंकों ने "उपयुक्त और सही" की समस्या का समाधान कर लिया है ?
- क्या दी जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए लगाए जाने वाले प्रभार पारदर्शी और गैर-पक्षपातपूर्ण हैं ? बैंक अभी भी ऐसे स्थान क्यों बने हुए हैं जहां अभी भी आम आदमी जाने से डरता है ?
- रेगुलेटर और नीति-निर्माताओं की कोशिशों के बावजूद अभी भी समाज का बड़ा तबक़ा वित्तीय सुविधाओं से क्यों वंचित है ?

8. भारतीय वित्तीय प्रणाली में झांकने के बाद, सबसे पहले मैं एक कमर्शियल बैंकर और अब एक केंद्रीय बैंकर के रूप में इस अवसर पर आज आपके साथ मैं अपने विचार भारतीय बैंकों के एक रेगुलेटर के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण पर बात करना चाहूँगा जिसने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को अधिक समावेशी एवं बड़े पैमाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े वर्ग के लिए प्रासंगिक बनाया है । मैं उन चुनौतियों के बारे में भी बात करूंगा

जो बैंकिंग प्रणाली अपने युनिवर्सल वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने में सामना कर रही है तथा नवोन्मेष एवं सुधार के बारे में जो इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक हैं । मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूंगा कि बहुत ही नई तरकीबें भी तब तक बेकार हैं जब तक कि उन्हें अमली जामा न पहनाया जाए । इसलिए, मैं इस सम्मेलन के आयोजकों को सम्मेलन की थीम में 'कार्यान्वयन' शब्द को शामिल करने के लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक सभी स्तर से पहुंच बनाने के सपने को पूरा करने में गहन कार्यान्वयन अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

वित्तीय समावेशन क्यों आवश्यक है ?

9. 1944 में फिलाडेल्फिया में आईएलओ की घोषणा में यह दावा किया गया था कि "गरीबी कहीं भी हो वह किसी भी स्थान की समृद्धता के प्रति-चुनौती है" अब यह बात सभी जगह स्वीकार कर ली गई है कि वित्तीय समावेशन घरेलू बचत का निर्माण करने, गृहस्थों को सहारा प्रदान करने, घरेलू और वित्तीय क्षेत्र को समुत्थान बनाने तथा कारोबारी एवं उद्यमिता गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करता है, जबकि वंचन से असमानता बढ़ती है, संवृद्धि और विकास के मार्ग में बाधा है । इसलिए वित्तीय समावेशन गरीबी दूर करने का महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह व्यक्ति को न केवल औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ता है बल्कि उनमें बचत करने की आदत डालता है । अतः, वित्तीय समावेशन या समावेशी बैंकिंग, समावेशी एवं स्थायी आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक जरूरत है ।

वित्तीय वंचन : समस्या के आयाम

10. वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग क्षेत्र के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि वह 'समावेशी' होने में असफल रहा । मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि केवल भारतीय प्रणाली ही अकेली नहीं है जो 'समावेश' परीक्षा में फेल हुई हो । यह अलग-अलग क्षेत्रों में केवल वंचन की भिन्न-भिन्न मात्राएं हैं । जी-20 विश्व भागीदार द्वारा विकसित वित्तीय समावेशन कार्य-योजना में उल्लेख किया गया है कि पूरे विश्व में वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत ऐसे 2.5 बिलियन लोगों अथवा काम कर सकने वाली उम्र की आधी आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के भीतर लाना है जो इस समय उससे वंचित हैं ।

11. उपर्युक्त उल्लेख से हमारे लिए प्रश्न पैदा होता है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली कितनी समावेशी है ? इस संबंध में हमें वर्ष 2011 की जनगणना से कुछ जवाब मिलता है । देश में 24.67 करोड़ गृहस्थों में से केवल 14.48 करोड़ अथवा 58.70 प्रतिशत गृहस्थों को बैंकिंग सेवांए उपलब्ध हैं । इतना ही नहीं, 16.78 ग्रामीण गृहस्थों में से केवल 9.14 करोड़ अथवा 54.46 प्रतिशत गृहस्थ ही बैंकिंग सेवाएं ले रहे हैं । लेकिन यह वित्तीय वंचन कहानी का केवल एक पहलू है । जो व्यक्ति या गृहस्थ ऋण-सुविधा से जुड़े हैं, उनके बारे में आंकड़े और भी निराश करने वाले हैं । विश्व बैंक फिनडेक्स सर्वेक्षण (2012) में यह बताया गया है कि केवल 35 प्रतिशत भारतीय प्रौढ़ व्यक्तियों के पास औपचारिक बैंक खाता है और पिछले 12 महीने में बहुत ही मामूली 8 प्रतिशत लोगों ने ही औपचारिक सुविधा से उधार लिया है । यदि हम इस स्थिति को और बड़े पैमाने पर देखना चाहते हैं और वित्तीय वंचन की स्थिति का अन्य वित्तीय खंड जैसे बीमा और प्रतिभूति बाज़ार में परीक्षण करना चाहते हैं तो उनमें स्थिति और भी ज़्यादा खराब है ।

वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रारंभिक प्रयास

12. बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन के सामाजिक और आर्थिक मकसद को बहुत पहले ही समझते हुए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक पिछले कई दशकों से इस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही सीमित सफलता प्राप्त हुई है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर, प्राथमिकता क्षेत्र उधार की अपेक्षा, अग्रणी बैंक योजना प्रारंभ करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, स्वयं-सहायता समूह-बैंक की संबद्धता का कार्यक्रम - ये सब नवोन्मेषी कार्यक्रम इस उद्देश्य से प्रारंभ किए गए थे ताकि बैंकिंग सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाया जा सके । लेकिन, 1990 के दशक के प्रारंभ से वित्तीय क्षेत्र के सुधार के रूप में फोकस वित्तीय संस्थओं को मज़बूत करने पर हो गया । उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद वित्तीय वंचन की सीमा अभी भी गंभीर बनी हुई है ।

ये सब प्रयास असफल क्यों हैं ?

13. सामाजिक बैंकिंग के प्रति लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण को इन प्रयासों की असफलता का एक मुख्य कारण माना जा सकता है क्योंकि ये पहल कभी भी बैंकों की कारोबारी रणनीति का हिस्सा नहीं बन सकी हैं । बैंकों को ज़्यादा दिलचस्पी उधार के लक्ष्यों को किसी प्रकार से पूरा करने में होती है । अधिकांशतः सब्सिडीयुक्त ब्याज दर पर, या फिर अनेक सरकारी निर्देशित योजनाओं के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सब्सिडी पर । बैंकों ने सामाजिक बैंकिंग को कभी भी संभाव्य एवं लाभप्रद व्यवसाय नहीं माना है । वे हमेशा यह

मानकर कार्य करते हैं कि गरीब लोग न तो सामान्य ब्याज दर अदा कर सकते हैं और न ही वे सब्सिडी के बिना पर्याप्त धन कमा सकते हैं जबकि सच तो यह है कि गरीब लोग वित्त के अनौपचारिक स्रोतों को बहुत ज़्यादा ब्याज दर अदा करते हैं । किसी भी कार्यकलाप के बने रहने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसमें संभाव्यता होनी चाहिए । अफसोस है कि बैंकिंग प्रणाली में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि इन समूहों के भीतर खास कारोबारी मॉडल विकसित किए जाएं ताकि उन्हें इसका एहसास हो । मेरा पूरा विश्वास है कि गरीबों के लिए बैंकिंग भी फायदेमंद है और उसे कमर्शियल तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, वह भी बिना किसी दोहन करने के इरादे से ।

सुधार काल की खामियां

14. 1980 के दशक के मध्य से और 2005 तक, विनियामकीय फोकस समेकन तथा बैंकों की लाभप्रदता की ओर था । चूंकि सामाजिक पहल, जैसाकि पहले बताया जा चुका है, कारोबारी योजनाओं से नहीं जुड़ी हुई थीं, और उनके बारे में यह सोचा गया था कि वे फायदेमंद नहीं हैं, वे ही इसका पहला शिकार बनीं । अनेक ग्रामीण शाखाओं को बंद कर दिया गया था फिर उन्हें अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उन्हें फायदेमंद नहीं माना गया ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर अत्यधिक निर्भरता

15. सामाजिक पहल का जोर हमेशा सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर था जबकि निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंकों को पर्याप्त सामाजिक दायित्व नहीं सौंपा गया । इसके अलावा, कई प्राधिकारी वित्तीय समावेशन के कार्य में एक-साथ लग गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि बना-बनाया एवं योजनाबद्ध प्रयास नष्ट हो गया।

प्रौद्योगिकी का अभाव

16. उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बिना देश के दूर-दराज क्षेत्रों में पक्के ढांचे के बिना पहुंच पाना कठिन और महंगा सौदा था ।

अब क्या परिवर्तन हुआ है ?

17. पिछले कुछ वर्षों में यह महसूस किया गया कि वित्तीय समावेशन को वास्तविकता में लाने के लिए एक सतत कारोबारी एवं डिलीवरी मॉडल होना चाहिए । इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सब कुछ आसान बना देती है और उसने देश के 63 लाख से अधिक ग्रामों में बैाकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत से कार्यों हेतु किफायती समाधान विकसित करने के अवसर खोल दिए हैं । वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रारंभिक प्रयासों से जो सबक हासिल हुआ है वह हमारी समावेशी रणनीति को पुनः काट-छांट करने के लिए इनपुट सिद्ध होगा ।

वित्तीय समावेशन की दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

18. वित्तीय समावेशन की दिशा में सार्थक प्रगति हासिल कर पाने की असफलता ने विनियामकों और नीति-निर्माताओं को अपनाए गए दृष्टिकोणों पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है । यह चिंतन इस बात को परिभाषित करने से प्रारंभ हुआ है कि वित्तीय समावेशन से वास्तव में क्या आशय है और हमारे फोकस किस दिशा में होने चाहिए । भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को इस प्रकार से परिभाषित किया है -' विनियमित, मुख्य धारा के संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा सामान्य रूप से समाज के सभी वर्गों एवं कम आय वर्ग के लोंगों को किफायती दर पर उपयुक्त एवं पारदर्शी तरीके से उचित वित्तीय उत्पाद एवं सेवओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन कहते हैं । अतः, वित्तीय समावेशन के दो उद्देश्य हैं :

- वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना ताकि वे उपलब्ध वित्तीय सेवाओं के लाभ को समझ सकें तथा वे वित्तीय जानकारियों से पूरे विश्वास के साथ अवगत हो सकें ।
- सभी छह लाख ग्रामों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन-चक्र की वित्तीय आवश्यकताओं को उचित बचत, ऋण, धन-प्रेषण तथा बीमा उत्पादों द्वारा पूरा करना।

योजनाबद्ध और संरचनायुक्त दृष्टिकोण

19. भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय सेवाओं की मांग और पूर्ति दोनों मुद्दों का समाधान करने के लिए योजनाबद्ध और संरचनायुक्त दृष्टिकोण अपनाता रहा है । किए गए प्रयासों का उद्देश्य यह होता है कि बैंकों के लिए एक सुकर वातावरण तैयार किया जाए । बड़े पैमाने की कार्यनीतियां अपनाई गई हैं जैसे - विनियामकगत दिशानिर्देशों में छूट से लेकर नये उत्पादों का प्रावधान एवं समर्थनकारी उपाय अपनाए गए हैं ताकि ऐसा वित्तीय समावेशन हासिल किया जा सके जो वहनीय एवं आगे बढ़ाने योग्य हो ।

बैंकजन्य मॉडल और लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी

20. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए बैंकजन्य मॉडल की वकालत की है जिसमें प्रौद्योगिकी का सहारा लेने पर ज़ोर दिया गया है । हमें पूरा विश्वास है कि वित्तीय समावेशन पहल की सफलता काफी हद तक प्रौद्योगिकी पर निर्भर है जो डिलीवरी चैनलों को किफायती बनाएगी । यद्यपि, हमने प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत की है, हम ऐसे प्लेटफार्म का उपयोग करना चाहते हैं जहां से वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों का अनुवर्तन किया जा सके । बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे ऐसे समाधान अपनाएं जिन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके ।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हाल के नवोन्मेष कार्य

21. अभी तक यह नहीं पाया गया है कि वित्तीय समावेशन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोन्मेषी समाधान के प्रयोग में कोई कसर छोड़ी हो । हमारा हमेशा विश्वास रहा है कि नवोन्मेष का यह अर्थ नहीं होता है कि साधारण सी समस्या के लिए जटिल प्रकार का समाधान विकसित किया जाए । नवोन्मेष का मतलब यह भी नहीं होता है कि भारी भरकम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए । हमने बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि वे महज छोटे-छोटे समाधान अपनाएं और अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाएं । मैं उनमें से कुछेक पहल के बारे में बताना चाहूंगा ।

ए) व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सहायक मॉडल

22. जनवरी 2006 के प्रारंभ से, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), लघु-वित्त संस्थाओं (गैर-बैंकिंग कंपनियों से इतर) और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों का इस्तेमाल वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थ के रूप में करें और उसके लिए व्यवसाय सहायक एवं व्यससाय प्रतिनिधि (बीसी) माडलों का उपयोग करें जिसका उद्देश्य न्यूनतम मील तक को जोड़ने के मामले का समाधान करना है । बैंकों को प्रोत्साहित किया गया कि वे बीसी नेटवर्क को अपने कोर बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) से जोड़ें और कुछ क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या से निपटने के लिए आफलाइन समाधान विकसित करें । चूंकि इस समय उपकरणों का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बीसी द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण और प्रौद्योगिकी उत्तम स्तर के हों । खुदरा स्थानों पर बीसी की या बीसी के उप-एजेंटों की अदला-बदली की अनुमति दी गई है, बशर्ते लेन देन आनलाइन, सीबीएस के माध्यम से किए गए हों । बीसी के रूप में उपयोग की जाने वाली संस्थाओं की सूची को समय-समय पर काफी विस्तृत बना दिया गया है ।

बी) सरलीकृत शाखा प्राधिकरण

23. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए शाखा खोलने के मानदंडों को काफी उदार बना दिया है जिसमें उन्हें 1 लाख से कम आबादी के केंद्रों पर शाखा खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है । बैंकरहित क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को यह अधिदेश दिए गए कि वे अपनी नई शाखाओं की कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों पर खोलें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे तीन वर्ष में बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों पर शाखाएं प्राथमिकता आधार पर खोलें और उसे अपनी समावेशन योजना का हिस्सा बनाएं ।

सी) वित्तीय समावेशन की सुविधा देने के लिए शाखा और बीसी संरचना को जोड़ना - आईसीटी आधारित खाते - बीसी के माध्यम से

24. भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि पक्के मकान के ढांचे एवं बीसी नेटवर्क दोनों को जोड़कर कार्य किया जाए और वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान की जाए, खासतौर से भौगोलिक रूप से बिखरे हुए क्षेत्रों में। देश के बैंकरहित और दूर-दराज के क्षेत्रों में कुशल एवं किफायती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे बीसी के माध्यम से आईसीटी आधारित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें। इन आईसीटी उक्त बैंकिंग सेवाओं में सीबीएस कनेक्टिविटी है जो समस्त बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है, साथ ही जो क्षेत्र वित्तीय रूप से वंचित हैं वहां भी धन जमा करने तथा निकालने की सुविधा उपलब्ध कराती है। स्मार्टकार्ड, हाथ से इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण / प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें, बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन के साथ वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन को सुलभ बनाती हैं।

डी) साधारण बचत बैंक जमा खाता (सादा खाता) खोलना

25. उत्पाद पक्ष को देखें, तो बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी व्यक्तियों को शून्य न्यूनतम राशि से साधारण बचत बैंक जमा खाता उपलब्ध कराएं और एटीएम/डेबिट कार्ड की सुविधा दें,

और प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक के लिए साधारण बचत खाता सक्रियता से खोलने के लिए उसे उसका मौलिक अधिकर बनाएं। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ऐसे साधारण बचत खातों पर ओवरड्राफ्ट की अंतर्निहित सुविधा प्रदान करें ताकि ग्राहक पैसे की अपनी आपातकालीन आवश्यकता को पूरा कर सकें और परेशानी के वक्त में वे साहूकारों के पास न जाएं। खेतिहर गृहस्थों के लिए जनरल क्रेडिट कार्ड की सुविधा को भी आसान बनाया गया है।

ई) उदारीकृत केवाइसी मानदंड

26. लोगों के सामने औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने के लिए एक बड़ी बाधा खाता खोलने के लिए कठोर केवाइसी मानदंड थे। ऐसे खाता को खोलना आसान बनाने के लिए, खासतौर से छोटे ग्राहकों के लिए केवाइसी दिशानिर्देशों को इस हद तक आसान बना दिया गया है कि वे अब बैंक अधिकारी के सामने स्वयं-प्रमाणित करके खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा, यूएआईडीएआई पहल पर बहुत ज़ोर नहीं दिया जाता है, रिज़र्व बैंक द्वारा 'आधार' को खाता खोलने के लिए केवाइसी अपेक्षा को पूरा करने हेतु एक पात्र दस्तावेज के रूप में अनुमति दी गयी है। अभी हाल ही में रिज़र्व बैंक ने केवाइसी के उद्देश्य से यूएआईडीएआई द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-आधार सुविधा को भी इस्तेमाल करने के लिए बैंकों को अनुमति दे दी है।

एफ)अग्रिम की राशियों के मूल्यनिर्धारण को स्वतंत्र बनाया गया

27. बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे ग्राहकों को दिए गए ऋणों के मूल्य का निर्धारण बैंक की वित्तीय समावेशन पहल के तहत आर्थिक संभाव्यता सुनिश्चित करते हुए कर सकते हैं।

वित्तीय साक्षरता का इस्तेमाल वित्तीय समावेशन के सहायक के रूप में

28. चूंकि वित्तीय बाज़ार में समस्याएं जटिल होती जा रही हैं और सूचनाओं की समानता नहीं रह गई है, इसलिए वित्तीय साक्षरता और शिक्षा की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। इसके अलावा, वित्तीय रूप से वंचित लोगों के औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ने के फायदे के बारे में सामान्य जानकारी नहीं है। इससे वित्तीय साक्षरता का महत्व बढ़ जाता है, जिसके लिए भारत जैसे देश में बहुत सी समस्याएं हैं क्योंकि साक्षरता स्तर में, सामाजिक / आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा अंतर है, क्षेत्रीय भाषाओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है आदि। वित्तीय साक्षरता के महत्व वित्तीय समावेशन हेतु आगे बढ़ने के कदम के रूप में पहचानते हुए रिज़र्व बैंक ने हाल के दिनों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 'वित्तीय साक्षरता परियोजना' का उद्देश्य केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग के बारे में विभिन्न लक्ष्य-समूह (जिसमें शामिल है स्कूल व महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और ग्रामीण शहरी गरीब लोग) में जानकारी का प्रसार किया जाता है।

कार्यान्वयन : मुद्दे और चुनौतियां

29. यदि चारों तरफ वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो मैं अब कुछ कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का उल्लेख करना चाहूँगा जिन पर काबू पाना जरूरी है।

ए) वित्तीय समावेशन को एक संभाव्य कारोबार मानना

30. अभी भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि यदि गरीबों को वित्तीय सेवाएं दी जाती हैं तो उसे सब्सिडी देते हुए या धर्मार्थ तौर पर प्रदान किया जाए। और इसी सोच ने गरीबों को इन सेवाओं से दूर रखा है तथा राशनिंग, लाइन में खड़े रहना और संरक्षण प्रदान करने जैसी बातें अभी भी ज़िंदा हैं। आम धारणा के विपरीत, वित्तीय समावेशन एक अत्यधिक फायदेमंद व्यवसाय है क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा बाज़ार इसकी परिधि में नहीं है और यह योजना उसे इसके दायरे में लाने का प्रयास है। वित्तीय समावेशन को प्रारंभिक तौर पर 'धन की शुरूआत पिरामिड के निचले हिस्से से' की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और इस अवसर को हथियाने के लिए बैंकों को अपनी कारोबारी रणनीति एवं तुलनात्मक फायदे के लिए इसके अनुसार उपयुक्त कारोबारी एवं डिलीवरी चैनल रखना होगा। यदि बैंक व्यवसाय के बारे में संरचना प्रारंभ कर दें तो वे नई चीजें पैदा कर सकेंगे और ऐसा करते हुए वे अत्यधिक किफायत करने का फायदा उठा सकते हैं। यह प्रक्रिया बैंकों में आपस में प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा करेगी जिससे बैंकरहित आबादी के क्षेत्रों को फायदा मिलेगा।

बी) कार्यनिष्पादन की निगरानी

31. कार्यान्वयन के प्रयास के साथ-साथ निष्पादन की निगरानी करना भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उसके प्रभाव का पता चल सके। प्रभाव का मूल्यांकन करने से नीतियों को प्रारंभ करने में मदद मिलती है और वित्तीय समावेशन में आने वाली बाधाएं दूर होती

हैं। हमने बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वित्तीय समावेशन के लिए संरचनायुक्त योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें उच्चस्तर पर वचनबद्धता हो और वित्तीय समावेशन की योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो। बैंकों के कार्यनिष्पादन और उनके लक्ष्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित एवं व्यापक निगरानी प्रणाली भी लागू की गई है।

सी) सामाजिक लाभ के लिए बैंकिंग नेटवर्क का सहारा लेना : लाभ का सीधा अंतरण

32. आधार के माध्यम से लाभार्थी की पहचान करके लाभ के सीधे अंतरण की जो शुरूआत की गई है उससे लाभार्थी के बैंक खाते में राशि सीधे जमा हो जाएगी जो सामाजिक कल्याण के लिए डिलीवरी को सुलभ बनाएगी। सरकार की भविष्य में यह योजना है कि लाभार्थी के खाते में लाभ को सीधे अंतरित करने के लिए आधार प्लेटफार्म को विशिष्ट वित्तीय पता के रूप में इस्तेमाल करते हुए समस्त सामाजिक सुरक्षा भुगतानों को बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से किया जाए। इससे लाभार्थी को उसका लाभ उसके घर पर मिल जाएगा और सरकार को नकद में भुगतान करने में जो लागत लगती है उससे बचत हो जाएगी और प्रणाली में किसी प्रकार के लीकेज को भी न्यूनतम बनाने में मदद मिलेगी। बैंकों को चाहिए कि वे सभी पात्र व्यक्तियों के बैंक खाते खोलने के लिए सक्रियता से कदम उठाएं और इन खातों में आधार संख्या रखें ताकि सामाजिक सुरक्षा का लाभ बैंकिंग चैनल से सहज रूप से पहुंचता रहे।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय)

33. प्रधानमंत्री जन-धन योजना हाल ही में घोषित की गई है जिससे भारत में वित्तीय समावेशन पहल को और आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस योजना की शुरूआत कई उद्दश्यों से की गई है जैसे समस्त स्तरों से बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बनाना, ओवरड्राफ्ट सुविधा सहित साधारण बैंकिंग खाता प्रदान करना, और सभी गृहस्थों को रूपे डेबिट कार्ड देना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाना; ऋण गारंटी निधि, सूक्ष्म-बीमा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाएं बनाना। इन उद्देश्यों को अगस्त 2018 तक चार वर्षों में दो चरणों में प्राप्त किया जाएगा। इस योजना में प्रौद्योगिकी नवोन्मेष अर्थात रुपे कार्ड और मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बैंकों को यह भी अनुमति दी गई है कि वे ग्राम स्तर पर अपने संसाधनों को पहुंचाने के लिए रिज़र्व बैंक की ग्रामीण एटीएम से संबंधित सब्सिडी योजना तथा सूक्ष्म एटीएम के लिए सब्सिडी हेतु यूएआईडीएआई की योजना का लाभ उठा सकते हैं।

भावी दिशा

34. वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों के कारोबारी मॉडल इस प्रकार बनाए जाएं कि वे प्रारंभिक चरण में स्वयं समर्थनकारी हों तथा दीर्घकाल में लाभ-देने वाले हों; जिसमें वहन-क्षमता पर फोकस करना जरूरी है। बैंकों को अलग तरह से सोचना और कदम उठाना होगा और स्वयं को अधिक लचीला बनाना होगा ताकि वे ग्रामीण आबादी की छोटी से छोटी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। बैंकों को लागत वाले मॉडल से हटकर आमदनी देने वाले मॉडल को अपनाना होगा जिसके लिए उन्हें जमा, ऋण और अन्य उत्पादों एवं सेवाओं का मिलाजुला प्रस्ताव देना होगा। उत्पाद और सेवाएं इस प्रकार की हों कि वे बैंकरहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

i) व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल

35. व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल लागू करने में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीसी मॉडल में वहनीयता एवं आगे बढ़ाने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। बीसी की नकदी प्रबंधन सेवा और उन्हें अदा किए जाने वाले परिश्रमिक के बारे में मुद्दे उठाए गए हैं। मॉडल के प्रयोग के प्रति अवरोधों की समस्या पर ध्यान से देखने की जरूरत और व्यावहारिक समाधान दिया जाए ताकि इस चैनल का भरपूर उपयोग किया जा सके। अधिक से अधिक नये उत्पाद लाए जाएं जिससे बैंक और ग्रामीण लोगों, दोनों को फायदा पहुंचेगा और बीसी मॉडल अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा।

ii) विभेदीकृत बैंकिंग

36. रिज़र्व बैंक, लघु और भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक संरचना तैयार कर चुका है। ये विभेदीकृत बैंक छोटी-छोटी जरूरतों के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे और छोटे कारोबार असंगठित क्षेत्र की ऋण एवं विप्रेषण की आवश्यकताएं पूरी करेंगे। इसका लक्ष्य है कि बैंकिंग में बड़े पैमाने पर प्रवेश दिया जाए ताकि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

iii) प्रधानमंत्री जन-धन योजना

37. हमने वित्तीय समावेशन के तहत जिन उद्देश्यों को परिभाषित किया है वे प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत अपेक्षित उद्देश्यों के अत्यधिक अनुरूप हैं। हम इस योजना को पूरी तरह कार्यान्वित करने के प्रति कटिबद्ध हैं और यह कोशिश है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अनुसार हों ताकि वित्तीय समावेशन के संयुक्त उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। इसके अलावा, यह भी सुझाया गया है कि इन खातों में लेनदेन बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक ऋण उत्पाद मुहैया कराए जाएं, जिसकी सहायता से ग्रामीण जन अपेक्षाकृत न केवल कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करेंगे बल्कि वित्तीय समावेशन बैंकों के लिए फायदेमंद बनाएंगे। प्रधानमंत्री जन-धन योजना से यह उम्मीद की जाती है कि सामाजिक सुरक्षा पाने वाले लोग पात्रता के अनुसार उसके फायदे सीधे ही उनके खाते में जमा कर दिए जाएंगे और उसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं होगा। लेकिन, इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभार्थियों की सूची समय पर और ठीक तरह से तैयार की जाए।

विद्यार्थियों के लिए संदेश

38. अपनी बात समाप्त करने से पहले में आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। बहुत जल्द आप बाज़ार में रोजगार की तलाश में होंगे और नौकरी करना शुरू कर देंगे। मेरी राय है कि आप चाहे जो पेशा/कार्य अपनाएं किंतु सोच-समझकर अपनाएं और चाहे जिस क्षेत्र में जाएं वहां खूब मेहनत से कार्य करें। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि स्मार्ट तरीके से कार्य करें। अन्य लोगों के साथ स्मार्ट तरीके से कार्य करने के लिए नेटवर्किंग की जानकारी होनी चाहिए। आप अपनी संबद्धता का चुनाव बुद्धिमानी से करें और उसी संबद्धता को फलने-फूलने दें। मेरी दूसरी सलाह जिसे मैं 1-2-3 का सिद्धांत कहता हूं, पेशेवर रोजगार के बाजार में इस्तेमाल होता है। आजकल, संगठन किसी एक व्यक्ति को नौकरी पर रखते हैं, उसे दो व्यक्तियों का वेतन देते हैं और उससे तीन व्यक्तियों का कार्य लेने की उम्मीद करते हैं। यदि इस प्रवृत्ति से आप स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे तो आप अपनी पेशेवराना ज़िंदगी बहुत जल्द समाप्त कर लेंगे । मेरा यह मशविरा है कि अपने भीतर एक मैराथन-धावक जैसा जिगर पैदा करें न कि अल्प-दूरी के धावक जैसी। तभी आप पूरी तरह से अपनी उसे योग्यता को समझ पाएंगे जो आपने इसे प्रतिष्ठित संस्थान से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से हासिल की है।

समापन

39. वित्तीय समावेशन समस्त हितधारकों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, अन्य वित्तीय विनियामक, बैंक, सरकारें, एनजीओ, सिविल सोसायटी, मीडिया आदि की सक्रिय एवं सामूहिक सहभागिता के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अच्छे इरादों को हमेशा लगातार कोशिशों की आवश्यकता होती है। नीति-निर्माताओं, विनियामकों, सरकारों, आईटी सुविधा प्रदाताओं और आम जनता का समर्थन भारतीय बैंकिंग को निर्णायक रूप से बदलने के लिए और इस प्रयास को समावेशी बनाने के लिए ज़रूरी है।

40. अंतिम बात, हालांकि नवोन्मेष बहुत जरूरी है, किंतु इसकी अधिकता से लागत भी बढ़ती है और समय की बरबादी होती है। यह महत्वपूर्ण है कि गैर-नवोन्मेष और बेशी-नवोन्मेष के बीच एक संतुलन क़ायम रखा जाए। नवोन्मेष का मतलब हमेशा क्रांतिकारी नहीं होता है। वित्तीय समावेशन के लिए तब भी बहुत कुछ, हासिल किया जा सकता है यदि हम 'बॉक्स के भीतर' रहकर सोचें, अर्थात् जो आधारभूत बातें हैं उन्हें ठीक तरह से करने पर ध्यान दें। मैं अपनी बात जीन रडेनबेरी के कथन से समाप्त करना चाहूंगा, ''अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, प्रत्येक चीज का आविष्कार समाप्त नहीं हो गया है, ये तो अभी मानव खोज का प्रारंभ है।''

41. मैं एक बार पुनः नरसी मोनजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान विश्वविद्यालय और संकाय-सदस्यों एवं व्यवसाय प्रबंधन स्कूल के विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस सम्मेलन में समसामयिक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। मुझे यकीन है कि अब आपको निहित विषय की बेहतर समझ हो गई होगी और आप बैंकिंग को समावेशी बनाने में सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा कर सकेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि यहां उपस्थित कुछ विद्यार्थी बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी ज्वाहन करेंगे और आने वाले दिनों में 'समावेशी बैंकिंग और समावेशी विकास'' के लिए प्रकाश पुंज के समान कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि आज दिन में होने वाली चर्चाओं में उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी जो मैंने यहां प्रस्तुत किए हैं। हमें अपने नवयुवकों से ढेर सारी उम्मीदें हैं और आपमें से कुछ लोग इस क्षेत्र में अनुसंधान भी करेंगे और वित्तीय समावेशन के लिए कार्रवाई योग्य समाधान प्रस्तुत करेंगे।

42. मैं आज सम्मेलन की सफलता और आप सभी के सफल भविष्य की कामना करता हूँ।

धन्यवाद।